दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु

निविदा प्रपत्र

ऑन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित दिनांक 19.06.2020

महाप्रबंधक(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

कमांक मुख्या/पो.आ./ 2020–21/ दिनांक 04.06.2020

निविदा सूचना

निगम द्वारा (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्रों हेतु दिनांक 31.03.2021 एवं आगे की अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निम्नानुसार कार्यों हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में दरे आमंत्रित की जाती है–

(1) अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु

(2) ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु

(3) लोडिंग/ अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर ठेका पद्धति से करने हेतु

(4) हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु

(5) सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु

निविदा की विस्तृत शर्तों का विवरण निगम की website - www.mpagro.org तथा www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mpeproc.gov.in से दिनांक 19-06-2020 तक अपरान्ह् 01.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 02.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक
(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
CIN No.U01119MP19695GC001055

क्रमांक मुख्या/पो.आ./ 2019–20/ दिनांक 29.05.2020

विस्तृत निविदा सूचना

निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, रीवा, शिवपुरी एवं होशंगाबाद) में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले पूरक पोषण आहार संयंत्रों के संचालन का कार्य किया जा रहा है जिनकी उत्पादन क्षमता निम्नानुसार हैः–

क्र	स्थान का नाम	कुल स्थापित क्षमता (मी टन)	उत्पादित की जाने वाली सामग्री
01	देवास, धार सागर, मण्डला, शिवपुरी, रीवा	2,500	1680 मी.टन पावडर, 820 मी.टन खिचड़ी
02	बाड़ी संयंत्र	1600	1200 मी.टन पावडर, 400 मी.टन खिचड़ी
03	होशंगाबाद	600	400 मी.टन पावडर, 200 मी.टन खिचड़ी

इन संयंत्रों में निम्न कार्यों को ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र में निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले वैध निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	स्थान	निविदा प्रपत्र राशि (रू. में) जीएसटी सहित	संकल्प धनराशि (रू. में) *	
1	2	3	4	5	6
01	अनाज की साफ–सफाई, पिसाई, सिकाई एवं मिश्रण तक के समस्त कार्यों को प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करने हेतु	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	2,38,000/–	(क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 38000/– एवं क्रं 3 हेतु 10000/–)
02	ऑगर फिलर/कप फिलर आटोमेटिक मशीनों से पैकिंग मशीनों से पैकिंग के समस्त कार्य प्रतिटन दर पर ठेका पद्धति से करना	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	2,94,000/–	(क्रमांक 1 एवं 2 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 47000/– एवं क्रं 3 हेतु 12000/–)
03	लोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना एवं अनलोडिंग का कार्य प्रतिटन के आधार पर करना	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	1,87,000/–	क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 30000/– एवं क्रं 3 हेतु 7000/–)
04	हाउस कीपिंग आंतरिक (संयंत्र के आंतरिक क्षेत्रफल के आधार) हाउस कीपिंग बाहरी (संयंत्र के बाहरी के क्षेत्रफल के आधार) करने हेतु	देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र बाड़ी संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत नहीं की जाना है	5,900/–	128000/–	क्रमांक 1 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 20000/– एवं क्रं 3 हेतु 8000/–)
05	सुरक्षा व्यवस्था संयंत्र के क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु	बाड़ी देवास, धार, सागर, मंडला होशंगाबाद शिवपुरी एवं रीवा संयंत्र	5,900/–	80000/–	क्रमांक 1, 2 एवं 3 के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 10000/–

**** संकल्प धन राशि प्रत्येक संयंत्र हेतु कालम 6 के अनुसार निर्धारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को उपरोक्त कालम 5 में दर्शाऐ अनुसार पूर्ण राशि जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।***

उपरोक्त समस्त कार्यों हेतु अलग–अलग निविदा प्रपत्र तैयार किए गए हैं । इच्छुक निविदाकार जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें । निविदा प्रपत्र का क्रय online पद्धति से www.mptenders.gov.in से दिनांक 19.06.2020 तक अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है, निविदा प्रपत्र इसी दिन अपरान्ह् 2.00 बजे तक अपलोड किए जा सकेंगे जिन्हें दिनांक 19.6.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोला जाएगा । योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन उपरोक्त वेबसाईट पर ही अपलोड किये जाएंगे एवं इसके लिए अलग से समाचार पत्र में कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

विभिन्न पूरक पोषण आहार संयंत्रों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) हेतु हाउस कीपिंग आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रफल के आधार पर करने हेतु (इसें आगे चलकर हाउस कीपिंग कहा गया है) की निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण

आन लाईन निविदा पत्र का मूल्य GST सहित	राशि रू 5,900.00
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 1.06.**2020 को अपरान्ह 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक**
संकल्प धन राशि (EMD)	2500 मी.टन क्षमता के प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 30,000/– (रू तीस हजार मात्र) 600 मी.टन क्षमता के संयंत्र हेतु रू रू 7,000/– (रू सात हजार मात्र)
आन लाईन निविदा प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	**दिनांक** 1.06.**2020 को अपरान्ह 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक**
प्री बिड मीटिंग	दिनांक 12.06.2020 अपरान्ह 3.00 बजे एम पी स्टेट एग्रो इण्ड डेव्ह कापो लिमि पंचानन भवन तृतीय तल मालवीय नगर भेपाल में महाप्रबधंक (पोषण आहार) के कक्ष में होगी ।
निविदा पत्र (हार्डकापी में)टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 19.06.2020 अपरान्ह 2.00 बजे तक
आनलाईन तकनीकी निविदा तथा हार्ड कापी खोलने की तिथि	दि0 19.06.2020 अपरान्ह 3.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल एवं website पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई–मेल पर सूचित किया जावेगा।

नोट– उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website www.mpagro.org तथा www.mptenders.gov.in पर किया जावेगा। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निविदा के संदर्भ में बेवसाईट समय– समय पर देख कर प्रकाशित होने वाले संशोधन/सूचनाओं के प्रति अवगत हों।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

विभिन्न पोषण आहार संयंत्रों (बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा एवं होशंगाबाद) सुरक्षा व्यवस्था आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रफल के आधार पर ठेका पद्धति के से दिनांक **31.03.2021 एवं आगे की अवधि में** करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा निर्धारित की गई शर्तो को पूर्ण करने वाले निविदाकारों से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा प्रपत्र विवरण

निविदा पत्र में कुल 21 पृष्ठ निम्नानुसार हैः–

कं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	7–8
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	9–18
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	19
4	वित्तीय प्रस्ताव पत्र का प्रारूप (Annexure 4)	अनुसूची –4	20
5	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –5	21

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

•	निगम	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
•	संयंत्र	मध्यप्रदेश राज्य में देवास, धार, सागर मण्डला, शिवपुरी, रीवा होशंगाबाद एवं बाड़ी में स्थापित पूरक पोषण आहार संयंत्र
•	निविदाकर्ता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
•	सुरक्षासेवा प्रदाता	निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
•	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त कं. 6 के अनुसार
•	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)	निविदा पत्र की अनुसूची –2 शर्त कं. 12 के अनुसार
•	प्रबंध संचालक	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
•	महा प्रबंधक (पोषण आहार)	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)
•	संयंत्र प्रभारी	संयंत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

पोषण आहार संयंत्रों में सुरक्षा का का कार्य ठेका पद्धति से करने हेतु करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,
मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय– सुरक्षा व्यवस्था का_कार्य करने हेतु निविदा हेतु आवेदन पत्र

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य	....
2	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
3	निविदा प्रस्तुत करने/हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	....
4	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्र0 फैक्स क्रमांक Email	....
5	पेन नंबर	....
6	GST नंबर	....
7	**निविदा पत्र का मूल्य GST सहित राशि रू 5,900/–**	To be Submitted Online
8	**संकल्प धन राशि (EMD) रू 10000/–** बाड़ी, देवास, धार, मण्डला, सागर, शिवपुरी, रीवा तथा होशंगाबाद प्रत्येक संयंत्र हेतु रू 10,000/निर्धारित है उदाहरणार्थ यदि आपके द्वारा 2 संयंत्र हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है तो राशि रू 20,000/– की संकल्प धनराशि निगम में जमा रखी जावेगी एवं शेष राशि निविदाकार को वापस की जाऐगी	To be Submitted Online
9	निजी सुरक्षा ऐजेंसी के संचालन हेतु पसारा का वैध प्रमाण पत्र। (फोटो प्रति अपलोड करे)	
9	ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (फोटो प्रति अपलोड करे) (अनुसूची क्रमांक 02 03.01.07 अनुसार)	
10	फर्म द्वारा किसी उद्योग में किए गए सुरक्षा व्यवस्था के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि)	

	(अनुसूची कमांक 02 3.01.04 अनुसार)	
11	फर्म का विगत तीन वर्षो (2018–19, 2019–20, 2020–21) का टर्नओवर (अनुसूची कमांक 02 . 01.05 अनुसार)	
12	फर्म में दिनांक 31.03.2020 को नियोजित कर्मियों, सुपरवाईजर का विवरण नाम, अनुभव वर्षो में, कंपनी जहां कार्य किया हो सहित। (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें कि सूची में उल्लेखित कर्मी 31.03.2020 की स्थिति में नियोजित थे सत्यापित जानकारी मूलतः हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत की जाए)	
13	निविदा प्रपत्र के पृष्ठ कमांक 1 से 23 तक के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सील सहित की फोटो प्रति अपलोड करे। वित्तीय निविदा (पृष्ठ कमांक 22) की फोटो प्रति अपलोड नही की जाना है।	

स्थान जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है।

कं	स्थान	EMD
1	**2**	**3**
1	देवास	
2	घार	
3	मण्डला	
4	शिवपुरी	
5	रीवा	
6	सागर	
7	होशंगाबाद	
8	बाड़ी	
	कुल जमा ई.एम.डी.	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम ....

नोट :–

- उपरोक्त सभी अपलोड किये गए दस्तावेजों की हार्ड कापी एक लिफाफे में रखे जाकर दिनांक 19.06.2020 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि. तृतीय तल पंचानन भवन,, मालवीय नगर, भोपाल के कार्यालय के उपलब्ध टेन्डर बाक्स में डाले जाना है।
- वित्तीय निविदा अपलोड ही की जाना है। हार्ड कापी नहीं दी जाना है ।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कार्य का स्वरूप

1. सामान्य जानकारी –

01. निगम द्वारा यह निविदा पोषण आहार संयंत्रों में सुरक्षा कार्य हेतु आमंत्रित की गई है, अतः सुरक्षासेवा प्रदाता को निगम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा । निगम एवं संबंधित संयंत्र के संयंत्र प्रभारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी निगम को दी जाती है तो निगम द्वारा संबंधित सुरक्षासेवा प्रदाता की धरोहर राशि को जप्त कर निगम के प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए निगम के माध्यम से काम करने से वंचित कर दिया जाएगा।

02. शिवपुरी, देवास, धार, मण्डला, रीवा, सागर में स्थापित 2500 मी.टन क्षमता के तथा जिला होशंगाबाद में स्थापित 600 मी.टन क्षमता तथा बाडी के पोषण आहार संयंत्रों में सुरक्षा से संबंधित समस्त कार्य जिनका विवरण नीचे तकनीकी जानकारी के अंतर्गत दिया गया है, सुनिश्चित करना है।

2. कार्य का स्वरूप

01. सुरक्षाकार्य सप्ताह के सातों दिन 8 घण्टे, की तीन शिफ्टों में (24X7) किया जाएगा।

02. सुरक्षा कार्य हेतु संयंत्र की आवश्यकता अनुसार तीनों शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने है। इन सुरक्षाकर्मीयों के नियंत्रण एवं निगरानी हेतु एक सुपरवाईजर नियुक्त किया जाना होगा। सुरक्षा कर्मीयों में प्रत्येक शिफ्ट की आवश्यकता अनुसार आवश्यक संख्या में पुरूष एवं महिला सुरक्षा कर्मी, उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। सुरक्षाकर्मचारियों की आवश्यक संख्या का निर्धारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी / संयंत्र प्रभारी द्वारा किया जावेगा।

03. इन संयंत्रों में बच्चों गर्भवति/धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के उपयोग हेतु पूरक पोषण आहार का उत्पादन किया जाता है अतः कार्य की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में कर्मचारियों का नियोजन किया जाना आवश्यक है।

04. उक्तानुसार संयंत्र महिला स्व सहायता समूह के परिसंघों द्वारा संचालित है। सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व है कि वे कार्य में आवश्यकता अनुसार महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों /उनके परिवार के सदस्यों को अधिकाधिक संलग्न करें जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।

3. सामान्य शर्तें

1 अर्हता –

01. निविदाकर्ता निजी कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य, जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हो।

02. निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड होना आवश्यक है।

03. निविदाकर्ता के पास प्रत्येक संयंत्र में सुरक्षा सेवा कार्य के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित के दक्ष कर्मी होना चाहिए।

04. निविदाकर्ता के पास सुरक्षा सेवा कार्य ठेका पद्धति पर करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।

05. निविदाकर्ता फर्म का विगत तीन वर्षों (2017–18, 2018–19, 2019–20) का टर्नओवर 2500 मी. टन क्षमता के दो से अधिक संयंत्रों हेतु (तीन वर्षों का न्यूनतम 20.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 9.00 लाख़) 2500/600 मी. टन क्षमता के एक संयंत्र हेतु (तीन वर्षों का न्यूनतम 10.00 लाख प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 4.50 लाख़) का टर्नओवर होना आवश्यक है। चाटर्ड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र (मूल प्रति अपलोड करे)
<u>यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त टर्न ओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदाकार निविदा प्रस्तुत करे एवं जिस स्थान पर कार्य करना चाहते हैं, उस स्थान के समक्ष ही अनुसूची 7 में दरें प्रस्तुत करें । यदि यह पाया जाता है कि टर्नओवर की दी गई सीमा के आधार पर निविदा प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी निविदा को विचार क्षेत्र में न लेते हुए निरस्त कर दिया जाएगा । ।</u>

06. निविदाकर्ता जी.एस.टी. नंबर धारक हो।

07. ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धारक हो। (यदि सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो तो निविदाकर्ता द्वारा स्वयं सील एवं हस्ताक्षर सहित पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह सुरक्षा के समस्त कार्य गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण सहित नियमानुसार स्वीकृत किए जाने की दशा में उपरोक्त प्रमाणपत्र कार्य स्वीकृत करने की दिनांक से 10 दिवस में प्रस्तुत करेगा)

08. निजी सुरक्षा सेवा कंपनी के संचालन के संबंध में पसारा (प्रायवेट स्क्यूरिटी ऐजेंसी रेग्यूलेश्न एक्ट) का वैध प्रमाण पत्र।

09. कमांक 1 से 8 तक के स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा कमांक 7 का यदि आवश्यक हो तो वचन पत्र प्रस्तुत करें ।

4. <u>आनलाईन निविदा पत्र</u> की प्राप्ती–

4.1 निविदा पत्र निगम की बेब साईट www.mpagro.gov.in पर अवलोकन हेतु दिनांक 1.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे से उपलब्ध रहेगा। निविदाकार जिनके पास वैध Class III Degital Signature है, वे निविदा पत्र का कय www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 01.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे से 19.06.2020 अपरान्ह् 1.00 बजे तक किया जा सकता है।

4.2 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज आन लाईन आवश्यक प्रोसेसिंग फीस जमा कर कय किया जाना अनिवार्य है। दस्तावेज के मूल्य राशि रू 5000+GST = 5900 ऑन लाईन जमा कराना आवश्यक है ।

4.3 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

4.4 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है तथा वे कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं व संयंत्र की भौतिक स्थितीयों से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है। सशर्त ऑफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।

5. **<u>प्री बिड मीटिंग</u>**– निविदा के संबंध में दिनांक 12.06.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे महाप्रबंधक (पोषण आहार) एपी स्टेट एग्रो इण्ड कार्पो लि तृतीय तल पंचानन भवन

के कक्ष में आयोजित होगी । संभावित निविदाकार निविदा के संबंध में अपनी आपत्तियां/सुझाव दिनांक 12.06.2020 को अपरान्ह् 2.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदानुसार आवश्यक संशोधन निविदा में किये जा सकेंगे जो निविदा पत्र का हिस्सा कहलाएंगे । प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री बिड मीटिंग के उपरांत निविदा की शर्तों कें संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगीं, अतः यह आवश्यक है कि संभावित निविदाकार निविदा पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली–भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिती न रहे ।

6. निविदा के साथ संकल्प धनराशि का का भुगतान आनलाईन किया जाना आवश्यक है एवं विवरण पृष्ठ कं 8 पर दिया जाना आवश्यक है। बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी –

क्रं0	संयंत्र की संख्या	EMD
1	1600/2500 मी.टन क्षमता का एक	10000
2	2500 मी.टन क्षमता का दो	10000
3	2500 मी.टन क्षमता का तीन	10000
4	2500 मी.टन क्षमता का चार	10000
5	2500 मी.टन क्षमता का पांच	10000
6	2500 मी.टन क्षमता का छः	10000
7	2500 मी.टन क्षमता का सात	10000
8	600 मी.टन क्षमता का एक	10000
	कुल	80000

संकल्प धन राशि प्रत्येक संयत्र हेतु कालम 3 के अनुसार निधारित है। तकनीकी कारणों से निविदाकार को सभी सयंत्रों हेतु आवश्यक पूर्ण राशि रू 8,0000 जमा कराई जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा जिन सयंत्रों हेतु निविदा प्रस्तुत की जावेगी उतनी राशि संकल्प धन राशि के रूप में निगम में जमा की जावेगी तथा शेष राशि निगम द्वारा निविदाकार को वापस कर दी जाएगी।

6.2 <u>संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है</u> :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रमांक 4.3 में वर्णित दशा में ।

अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की **<u>संकल्प धनराशि mptenders.gov.in द्वारा आनलाईन वापस संबंधित बैंक खाते में</u>** वापस की जावेगी। संकल्प धन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

7. <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना</u> –

7.1 ऑन लाईन निविदा दिनांक 19.06.2020 अपरान्ह् 2.00 बजे तक www.mptenders.gov.in पर अपलोड किए जा सकेंगे।

7.2 निविदाकर्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वे निर्धारित समय सीमा में निविदा एवं आवश्यक दस्तावेज तथा वित्तीय आफर www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर लेवें। mptenders की बेबसाईट में तकनीकी खराबी/सर्वर की समस्या या अन्य किसी तकनीकी कारणों से समय पर निविदा अपलोड नहीं होने की दशा में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, अतः निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय का इंतजार न करते हुये इसके पूर्व निविदा अपलोड करें जिससे समस्या यदि कोई हो तो, का समय पर निराकरण किया जा सके।

7.3 निम्नानुसार दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर अपलोड किये जाना आवश्यक है–

1. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।
2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प धनराशि ऑन लाईन जमा करने संबंधी विवरण
3. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
4. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. शर्त क्रं 3.1.8 के अनुसार पसारा का वैध प्रमाण पत्र।
6. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र
7. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र की स्कैन की गई प्रति ।
8. निविदाकर्ता फर्म की ओर से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की स्कैन की गई प्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
9. अनुसूची क्रं 5 में अनुबंध प्रारूप
10. अनुसूची क्रं 4 में वित्तीय आफर

उपरोक्त क्रं 1 से 8 तक के दस्तावेज (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर–वित्तीय ऑफर को अलग से अपलोड किया जाना है) के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे) विधिवत् स्कैन करते हुये JPG या PDF format में, न्यूनतम 100 DPI में अपलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकार द्वारा सुनिश्चित कर लिया जावे कि स्केन किये गये दस्तावेज पठनीय हों ।

7.4 निविदा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कापी (वित्तीय ऑफर अनुसूची क्रं 4 छोड़कर) दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों। प्रस्तुत किये जाने वाले लिफाफे में **"सुरक्षाकार्य का कार्य हेतु निविदा–तकनीकी विवरण"** लिखते हुये आवेदक का नाम एवं पता लिखते हुये प्रस्तुत किया जाना है । **लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण –**

1. शर्त क्रं 4.2 के अनुसार निविदापत्र के मूल्य की राशि रूपये 5900/–ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण ।
2. शर्त क्रं 6.1 के अनुसार संकल्प राशि ऑन लाईन जमा किए जाने का विवरण।
3. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र ।
4. PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति ।

5. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
6. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित (पृष्ठ क्रं. 1 से 20 तक) (पृष्ठ क्रमांक 19 को छोड़कर)
7. शर्त क्रं 3.1.4 के अनुसार अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
8. शर्त क्रं 3.1.5 के अनुसार टर्न ओवर संबंधी सी ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. शर्त क्रं 3.1.8 के अनुसार पसारा का वैध प्रमाण पत्र।
10. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

7.5. अनुसूची–5 **अनुबंध प्रारूप** पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, सफल निविदाकार को इसी प्रारूप में रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना है ।

7.5 लिफाफा के ऊपर स्पष्ट शब्दो में ''**पोषण आहार संयंत्रों में सुरक्षाकाय कार्य हेतु निविदा तकनीकी विवरण** '' लिखा जावे ।

8 <u>निविदा खोला जाना</u>–

8.1 ऑन लाईन प्राप्त निविदा का तकनीकी ऑफर तथा टेंडर बॉक्स में प्राप्त लिफाफा दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह् 1.00 बजे निगम मुख्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में अधिकृत समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधि (एक निविदाकार से केवल एक) के समक्ष खोले जावेंगे ।

8.2 ऑनलाईन/लिफाफा में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेज पर अधिकृत समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

8.3 सभी दस्तावेज ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाना हैं तथा शर्त क्रं 7.4 के अनुसार हार्ड कॉपी भी प्रस्तुत की जाना है। आनलाईन प्रस्तुत दस्तावेज में कोई कमी होने अथवा अपठनीय होने की स्थिति में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

8.4 तकनीकी आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम की बेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी व योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं को ई–मेल द्वारा दी जा सकेगी ।

9 <u>दर प्रस्तुत करना</u> –

9.1 सुरक्षाकार्य के कार्य हेतु हेतु प्रति नियोजित व्यक्ति के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित दरें के आधार पर दरें दी जाना हैं।

9.2 सुरक्षाकार्मियों को उस जिले में निर्धारित अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित दैनिक दर एवं उसके अनुसार देय ईपीएफ, ईआयसी कान्ट्रीव्यूशन का उल्लेख किया जावेगा। संस्था द्वारा लिये जाने वाले सर्विस चार्ज एवं उस पर देय में GST शामिल अलग से दर्शाया जाये।

9.3 दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।

9.4 सुरक्षाकर्मी को संबंधित जिले में लागू अकुशल श्रेणी श्रमिक की माह जून–2020 में लागू दरों का विवरण प्रस्तुत करेगें।

9.5 शासन द्वारा श्रमिक को भुगतान की जाने वाली दरों में परिवर्तन होने की स्थिती में परिवर्ततित दरें तदानुसार मान्य की जावेगी। सर्विस चार्ज में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

9.6 निगम द्वारा कंपनी द्वारा क्लेम किये गये सर्विस चार्ज के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जावेगा।

9.7 निविदाकार द्वारा शून्य सर्विस चार्ज दर्शाये जाने की स्थिती में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

9.8 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

9.9 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में न्यूनतम दर को मान्य किया जायेगा ।

9.10 प्राप्त दरों पर किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे समिति द्वारा अनुसंशित दर का प्रति प्रस्ताव न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को दें, उनके द्वारा प्रति प्रस्ताव अमान्य करने की दशा में द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को प्रति प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

10. <u>निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध</u> –

10.1 तकनीकी आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ऑन लाईन प्राप्त वित्तीय ऑफर खोले जाएंगे ।

10.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राप्त दरों के तुलनात्मक अध्ययन कर दरों के निर्धारण हेतु अनुसंशाएं प्रबंध संचालक को प्रस्तुत की जाएंगी ।

10.3 प्रबंध संचालक द्वारा कडिंका क्र0 9.5 के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेते हुये कार्य हेतु दरों का निर्धारण किया जावेगा।

10.4 उक्तानुसार कडिंका 9.1 के आधार पर निर्धारित दर प्राप्त न्यूनतम दर से कम होने की दशा में प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को सूचित कर उनकी सहमति होने पर निगम द्वारा इस आशय की सूचना निविदाकर्ता को देते हुये 10 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–5 अनुसार राशि रू 1000/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा।

10.5 निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने की दशा में यह मान्य करते हुये कि निविदाकर्ता कार्य करने का इच्छुक नहीं है, उसकी निविदा को निरस्त कर संकल्प धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं/अथवा एक निश्चित समय सीमा के लिए निगम/संयंत्र हेतु कार्य करने से वंचित कर दिया जाएगा ।

10.6 उपरोक्त कण्डिका क्र0 9.5 की दशा में निगम के प्रबंध संचालक निर्धारित दर/प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकार को देते हुए अनुबंध कर कार्य आवंटन कर सकेंगे । द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार के सहमत न होने की दशा में प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

10.7 एक से अधिक निविदाकारों की दरें समान व न्यूनतम होने की स्थिती में निगम एक से अधिक निविदकारों का चयन करने एवं अनुबंध तथा कार्य आवंटित करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

10.8 निगम प्राप्त न्यूनतम दर पर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले योग्य निविदाकर्ता से उनकी सहमति के आधार पर अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार द्वारा 2 दिवस में कार्य न करने पर ऐसे अनुबंधित निविदाकर्ता से कार्य करवा सकेगा अथवा शर्त क्रं 10.3 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

11. <u>अनुबंध</u> –

11.1 अनुबंध के पश्चात अनुबंधित निविदाकर्ता सुरक्षासेवा प्रदाता कहलाऐंगे।

11.2 निविदाकार की दरें स्वीकृत होने की स्थिति में **अनुसूची–5** अनुसार अनुबंध प्रस्तुत करने हेतु प्रदायक को 10 दिवस की समय सीमा दी जावेगी। निविदाकार द्वारा नियत समय सीमा में अनुबंध प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में निगम निविदाकार द्वारा जमा की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करेगा, इसके लिये पृथक से निविदाकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है।

11.3 अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2021 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध तक प्रभावशील रहेंगी।

11.4 अनुबंध होने के उपरांत सुरक्षाकाय का कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। यदि सुरक्षाकाय कार्यकर्ता/सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है एवं निगम के संज्ञान में आती है तो निगम अनुबंध को निरस्त कर धरोहर राशि जप्त करने का अधिकारी रहेगा।

12. <u>धरोहर राशि</u>–

12.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

12.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार के विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

12.3 **<u>धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है</u>**–

1. सुरक्षाकाय सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में।
2. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।

13. <u>कार्य का स्वरूप तथा दायित्व</u> –

01. संयंत्र में विद्यमान राशि, सामग्री एवं व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा देना तथा किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से अनवांछित व्यक्तियों को एवं सामग्री को संयत्र के अन्दर नही आने देना तथा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संयंत्र से किसी भी सामग्री/व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देना ।

02. सुरक्षाकर्मी द्वारा यद्यपि केवल उन्ही व्यक्तियों , वाहनों, ट्रकों, सामग्री इत्यादि को इकाई में अंदर आने देना एवं बाहर जाने देना, जिसकी पहचान व अनुमति सुरक्षाकर्मी द्वारा नियमानुसार सुनिश्चित की जा चुकी हो। रात्रि में 10 बजे के पश्चात सक्षम अधिकारी कि बगैर अनुमति के किसी को भी इकाई में अंदर ना तो आने देना एवं ना ही बाहर जाने देना।

03. इकाई स्टाफ, उपस्थिति रजिस्टर, आउट ड्यूटी रजिस्टर, विभिन्न कान्ट्रेक्टरों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के पूरे विवरण का रजिस्टर संधारित करना।

04. इकाई में कोई भी कच्ची सामग्री, उत्पादित पोषण आहार, रिफ्रेक्शन, खाली बोरे, अन्य स्क्रेप, राख इत्यादि बगैर अनुमति के न तो आने देना तथा न तो जाने देना। कच्ची सामग्री, उत्पादित पोषण आहार, रिफ्रेक्शन, अन्य स्क्रेप, राख इत्यादि का वजन तौल काटे पर अपने समक्ष कराना तथा बिल क्र. संख्या, वजन दर व कुल राशि के विवरण की जानकारी सुरक्षा कर्मी द्वारा इंद्राज करना। विक्रय किये गए खाली बोरों की संख्या की पुष्टि करना।

05. संयंत्र के स्टाफ, वर्कर एवं विजिटर के आने जाने का विवरण दर्ज करना।

06. फर्स्ट एड बाक्स को अद्यतन रखना।

07. छोटे वाहनों के लिए छोटा गेट तथा बड़े वाहनों के लिए बड़े गेट का इस्तेमाल करना। समय–समय पर संयंत्र के आस–पास की कार्य प्रणाली पर ध्यान रखना।

08. आग बुझाने से सम्बंधित जानकारी रखना एंव सुनिश्चित करना कि आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

09. अपने रिकार्डस एवं डाक्यूमेंट्स को सुव्यवस्थित रखना तथा कार्यस्थल में अनुशासन बनाने में सहयोग देना।

10. बाहरी ब्यक्ति जो संयंत्र के अन्दर जाते हैं उनके स्वास्थ्य से सम्बंधित जानकारी को दर्ज करना, उनहें संयंत्र के नियमों के बारे में अवगत कराना तथा विजिटिंग कार्ड देकर संयंत्र के संबंधित अधिकारी /कर्मचारी तक पहुँचाना।

11. संयंत्र में आने वाले सभी वाहनों का निरीक्षण करना, उनके नम्बंर नोट करना। ध्यान रखे की उनमे कोई आपत्तिजनक वस्तु या रसायन न हो। वाहनों के आने जाने का समय दर्ज करना।

12. सभी संयंत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के आने के समय गुटखा, बीडी, तम्बाखू आदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए हानिकारक वस्तुओं का निरीक्षण करना तथा संयंत्र में आने वाली सभी महिलाओं व पुरूषों के गहनों और धागे इत्यादि का निरीक्षण करना।

13. प्राथमिक उपचार सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी का उपयोग करना।

14. किसी भी प्रकार की कोई भी आसामन्य गतिविधि की जानकारी ततकाल संयंत्र प्रभारी को देना।

15. नियमानुसार चयन कर अनुबंध के उपरान्त सुरक्षासेवा प्रदाता को सुरक्षा कक्ष हेतु आवश्यक रजिस्टर एवं उपयुक्त टार्च सहित सुरक्षासेवा प्रदाता को सौपे जाएंगे। इसके उपरान्त सुरक्षा कार्य का संचालन सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा इस कार्य हेतु उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों से कराया जाएगा, एवं सुरक्षा कार्य के व्यवस्थित निष्पादन का पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का रहेगा।

16. उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित करने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा की जाना होगी जिससे सुरक्षा का कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके, तथा उसकी नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सूची संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। यदि सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों से सुरक्षा का कार्य समुचित रूप से नही हो पाता है तो सुरक्षासेवा प्रदाता को समुचित सुरक्षा कार्य आवश्यक कार्यवाही कर कराना होगा।

17. सुरक्षासेवा प्रदाता की असावधानी से यदि सुरक्षा कार्य समुचित रूप से नही हो पाता है, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी उपस्थित नही रहते है तथा सुरक्षा कार्य नही हो पाता है तो निगम द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था से सुरक्षा कार्य कराया जाऐगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर व्यय होने वाली अतिरिक्त राशि सुरक्षासेवा प्रदाता से वसूल की जायेगी।

18. सुरक्षा कार्य के निष्पादन से कार्य के दौरान यदि कोई हानि होती है तो इसकी सूचना तत्काल सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा संयंत्र प्रभारी को दी जायेगी। संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे कि हानि ठेकदार की असावधानी से हुई है या सामान्य रूप से हुई है। यदि सुरक्षासेवा प्रदाता की असावधानी से सुरक्षा कार्य में कोई हानि होती है तो उसकी वसूली संबंधित सुरक्षासेवा प्रदाता से की जायेगी।
19. यदि संयंत्र प्रभारी को लगता है कि, सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों से संयंत्र में कार्य कराना निगम के हित में नही है तो सुरक्षासेवा प्रदाता को उन्हें तत्काल हटाकर उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को नियोजित करना होगा।
20. सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व होगा की वह सुरक्षा कार्य का उचित प्रकार से निष्पादन करे एवं संयंत्र प्रभारी को इससे अवगत कराते रहे तथा उनसे निरीक्षण कराते रहे।
21. सुरक्षासेवा प्रदाता (अनुबंधकर्ता) को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उसके द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु नियोजित सुरक्षाकर्मीयों का ईपीएफ, ईएसआई का निर्धारित अंशदान भुगतान कर नियोजित सुरक्षाकर्मीयों से उनका अंशदान प्राप्त कर संबंधित विभागों में जमा करा कर उसकी रसीद इत्यादि संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत करना होगी। इसके लिए सुरक्षासेवा प्रदाता को कोई अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा नही किया जायेगा।
22. यदि सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा श्रम अधिनियमों में एवं लागू अन्य अधिनियमों का पालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित विभागों द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सुरक्षासेवा प्रदाता की होगी तथा निगम द्वारा देय राशि में से विभागों को देय राशि काटी जा कर संबंधित विभाग को भुगतान की जायेगी, जिस पर सुरक्षासेवा प्रदाता को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नही होगा।
23. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा तथा देनदारियों का सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का होगा। किसी भी प्रकार की दुंघटना होने पर या अन्य स्थिति में सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किए गए सुरक्ष कर्मियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के किसी भी क्लेम के विरूद्ध भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व सुरक्षासेवा प्रदाता का रहेगा। सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी रूप में निगम के नियोजन में नही माने जायेंगे तथा ऐसे सुरक्षा कर्मियों के नियमानुसार सभी प्रकार के दायित्वों के लिए सुरक्षासेवा प्रदाता सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। सुरक्षासेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों को करें। किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिए निगम उत्तरदायी नही होगा। सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों के कार्यों/गलतियों के कारण या सुरक्षासेवा प्रदाता के कार्यों/गलतियों के कारण निगम को हानि होती है तो उसकी भरपाई सुरक्षासेवा प्रदाता से की जाएगी।
24. सुरक्षासेवा प्रदाता अपने दायित्वों को पूरा करने के दौरान प्राप्त किसी भी जानकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रगटीकरण नहीं करेगा तथा हमेशा उसे गोपनीय रखेगा।
25. सुरक्षासेवा प्रदाता निम्न के संबंध में निगम के पक्ष में बीमा कराएगा एवं उसे कार्य अवधि में लागू रखेगाः–
    - कार्य के निष्पादन के दौरान होने वाली तीसरी पार्टी के नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न दावा ।

- कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षासेवा प्रदाता द्वारा काम पर लगाए गए कामगार के कारण हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न दावा।लागू पीएफ/श्रम कानूनों, ईएसआई, विनियमों आदि का का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न कोई दावा।

26. सुरक्षासेवा प्रदाता द्वार सुरक्षा कार्य में नियोजित किए गए कर्मचारी, सुरक्षासेवा प्रदाता के ही कर्मचारी होंगे और ऐसे कर्मचरियों के संबधं में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही वे किसी भी प्रकार से निगम के कर्मचारी माने जाएंगे।

14. <u>भुगतान</u>–

11.1 सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक माह अनुबंधित दर अनुसार विधिवत तीन प्रतियों में देयक जिसमें GST नम्बर एवं GST की राशि का स्पष्ट उल्लेख संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किये जावेगें।

11.2 देयक प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिवस में भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। भुगतान के पूर्व संयंत्र प्रभारी को अधिकार होगा कि वे सुरक्षासेवा प्रदाता से उनके द्वारा ड्यूटी पर लागाये कर्मचारी के विगत माह में जमा किये गये ईपीएफ व किये गये भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकेगें। यदि यह पाया जाता है कि सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित दरों से भुगतान नहीं किया जा रहा है तो संयंत्र प्रभारी उनके प्रचलित देयकों से राशि की भरपाई संबंधित कर्मचारियों को करने का अधिकारी रहेगा।

11.3 अपूर्ण देयकों के भुगतान में विलंब का उत्तरदायित्व **सुरक्षा सेवा कार्य** प्रदाता का रहेगा, इस आधार पर **सुरक्षा सेवा कार्य** नहीं रोका जायेगा।

11.4 किसी भी प्रकार की कटौती का निणर्य होने की दशा में **सुरक्षा सेवा कार्य** प्रदाता के देयकों से आवश्यक राशि की कटौती सयंत्र प्रभारी द्वारा की जावेगी।

15. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

16. निगम के प्रबन्ध संचालक निविदा की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/ संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

17. **Force majour clause** लागू रहेंगे जिसके निर्धारण करने हेतु निगम के प्रबंध संचालक अधिकृत रहेंगे।

18. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम संयंत्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देंगें, आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

सुरक्षा सेवा का कार्य करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र/संयंत्रों में सुरक्षा सेवा का कार्य पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से संयंत्र को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं संयंत्र प्रभारी हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है। इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू .... प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

FINANCIAL BID EXCLE SHEET

Annexure 4

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

FINANCIAL BID

FOR SECURITY WORK ON CONTRACT BASIS

01. The rates is to be quoted in the proforma given below through online (i.e., the price bid is to be uploaded through e-portal). The rate should be quoted FOR ONE SECURITY PERSONNEL for the works mentioned at Sr. No. 2 and 13 of Annexure 2
02. Rates will be quoted based on rates fixed by the Labour Commissioner Madhya Pradesh for the area (as per minimum wages act) (inclusive of all statutory liabilities).
03. Changes in statutory rate will be considered by the Plant in charge form the date of issuing of the order by him.

Name of the Bidder ....

Address .---

PARTICULARS		RATE PER MONTH (District Wise)							
		Badi (Raisen)	Dewas	Dhar	Sagar	Mandla	Rewa	Shivpuri	Hoshangabad
i	Daily Wages (as per minimum wages act)								
ii	EPF Contribution								
iii	ESI Contribution								
iv	Other Liabilities (please mention if any)								
v	TOTAL (i to iv)								
vi	Agency Charges								
vii	TOTAL (v +vi)								
viii	GST (PLEASE MENTION PERCENTAGE)								
IX	TOTAL FOR THE MONTH FOR ONE PERSON (vii+viii)								

Note: Security service will be provided round the clock (24x7 basis) for 365 days.

Signature of the Bidder along with seal

अनुसूची–5

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे '' सुरक्षा सेवा प्रदाता '' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर विभिन्न स्थानों पर स्थापित संयंत्रों पर सुरक्षा सेवा का कार्य करने हेतु दिनांक .... को निविदा आमंत्रित की गई थी । सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से परिवहनकर्ता के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. सुरक्षा सेवा प्रदाता का सहमति पत्र
3. सुरक्षा सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार दस्तावेजों में उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

परिवहनकर्ता

1.

2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)